

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8
संख्या-64/2017/2083/पांच-8-2017-जी0(93)/2017
लखनऊ : दिनांक 31 जुलाई, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के कतिपय नवनियुक्त चिकित्साधिकारियों द्वारा अपनी तैनाती स्थल को सकारण संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया। सम्यक विचारापेरांत निम्नलिखित चिकित्साधिकारियों को तालिका के स्तम्भ-3 में अंकित उनकी वर्तमान तैनाती को संशोधित करते हुए स्तम्भ-4 में अंकित स्थान में रिक्त पद पर तात्कालिक प्रभाव से एतद्द्वारा तैनात किया जाता है :-

क्र. सं.	चिकित्साधिकारी का नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4
1.	डा0 राम गोपाल जायसवाल/जौनपुर	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रतापगढ	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, रायबरेली
2.	डा0 दिशा रानी सिंह/ कानपुर नगर	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, महोबा	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, बिजनौर
3	डा0 सगीर बारी/ आजमगढ	जिला चिकित्सालय, सोनभद्र	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, बलिया
4	डा0 आरिफ हुसैन/बरेली	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर देहात	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, बदायूँ

2- उपरोक्त चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संशोधित तैनाती स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

जवाहर लाल
संयुक्त सचिव।

-2/--

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-64/2017/2083(1)/पांच-8-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 30प्र0, लखनऊ।
- 2- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 30प्र0, लखनऊ।
- 3- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इलाहाबाद/लखनऊ/
चित्रकूटधाम/मुरादाबाद/मिर्जापुर/आजमगढ/कानपुर/बरेली/मण्डल।
- 4- मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रतापगढ/रायबरेली/महोबा/बिजनौर/बलिया/कानपुर देहात/
बदायूं।
- 5- मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला चिकित्सालय, सोनभद्र।
- 6- कोषाधिकारी, प्रतापगढ/रायबरेली/महोबा/बिजनौर/बलिया/कानपुर देहात/बदायूं।।
- 7- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
- 8- प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को
विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।